



आम सूचना, छावनी परिषद, रानीखेत।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत का राजपत्र संख्या 09 का.नि. आ. 12(अ), दिनांक 23-06-2021 के क्रम में छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) की धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार छावनी भूमि प्रशासन नियम 1937 को अधिक्रमित करते हुए अधिनियम की धारा 346 के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 प्रकाशित करती है। उक्त राजपत्र को छावनी परिषद की वेबसाइट www.ranikhet.cantt.gov.in में देखा जा सकता है, और यह अधिसूचना भी दी जाती है कि उक्त मौजूदा नियमों पर केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

उक्त मौजूदा नियमों पर किसी की आपत्तियां अथवा सुझाव हैं तो वे निर्धारित अवधि के भीतर निदेशक (भूमि), रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है।

(अभिषेक अजाद, भा0र0सं0से0),
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, रानीखेत।

प्रतिलिपि—

1. हिन्दुस्तान
2. दैनिक जागरण
3. अमर उजाला
4. उत्तर उजाला
5. राष्ट्रीय सहारा

— उक्त सूचना को जनहित में अपने आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु सादर प्रेषित।